an>

Title: Need to take effective steps for the disposal of e-waste.

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान निरन्तर बढ़ते हुए ई-कचरे के खतरे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

भारत में ई-कचरे या ई-वेस्ट के उचित प्रबन्धन का अभाव है, जिस ओर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है और समय रहते आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे पर्यावरण को हो रही बर्बादी से बचाया जा सके।

महोदय, ई-कचरे के अंतर्गत वे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आते हैं, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी हो। कम्प्यूटर, मोबाइल फोन, टैबलेट, टी.वी., फ्रिज, ए.सी. इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन चुके हैं, जिनके बिना अब हम सामान्य जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, परन्तु इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब हो जाने या अपनी लाइफ साइकिल समाप्त हो जाने के बाद, इनके उचित निस्तारण या प्रबन्धन की कोई प्रभावी योजना हमारे पास नहीं है।

हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग चार लाख टन ई-कचरे का उत्पादन होता है। "ई-वेस्ट इन इंडिया" नाम से प्रकाशित एक दस्तावेज के अनुसार भारत में उत्पन्न होने वाले कुल ई-कचरे का लगभग 70 प्रतिशत केवल दस राज्यों के 65 शहरों से आता है।

साधारणतया ई-कचरे का निस्तारण असंगठित क्षेत्र के अप्रशिक्षित लोगों द्वारा किया जाता है। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग इस कार्य के लिए आवश्यक सुरक्षा मानकों से भी अनभिज्ञ हैं। इस वक्त देश में लगभग 16 कंपनियां ई-कचरे के रिसाइकलिंग के काम में लगी हैं। इनकी कुल क्षमता साल में लगभग 66 हजार टन ई-कचरे को निस्तारित करने की है, जो देश में पैदा होने वाले कुल ई-कचरे का लगभग दस प्रतिशत है। ई-कचरे में कई तरह के खतरनाक रसायन तथा अन्य पदार्थ जैसे सीसा, कांसा, पारा, कैडमियम पाए जाते हैं, जिनके निस्तारण की व्यवस्था वैज्ञानिक तरीके से होनी चाहिए।

अतः मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार इस विषय को अविलम्ब अपने संज्ञान में लाते हुए ई-कचरे के प्रबंधन एवं निस्तारण हेतु प्रभावी कदम उठाए। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON : Shri Pushpendra Singh Chandel and Shri Sharad Tripathi are permitted to associate with the issue raised by Shri Naranbhai Kachhadia.